भारतीय अध्ययन संबंधी आईसीसीआर पीठ
(जिसे इसके बाद "पीठ" कहा गया है) को
जारी रखने के संबंध में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
(जिसे इसके बाद "आई सी सी आर" कहा गया है)
और

मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान संकाय,
विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन
(जिसे इसके बाद "विश्वविद्यालय" कहा गया है)

(जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्षकार" कहा गया है)

के बीच निष्पन्न समझौता ज्ञापन
(जिसे इसके बाद "एम ओ यू" कहा गया है)

आई सी सी आर और विश्वविद्यालय एतद्वारा निम्नलिखित आधार पर इस पीठ को जारी रखने में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं;-

सामान्य निबंधन व शर्तें

यह पीठ अल्पावधिक पीठ माना जाएगा।

इस पीठ में प्रत्येक नियुक्ति (इसके बाद इसे अभ्यागत आचार्य कहा जाएगा) एक सेमेस्टर अवधि के लिए होगी।

यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा और यह अकादमिक वर्ष 2019 के अंत तक लागू रहेगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत प्रथम अभ्यागत आचार्य की नियुक्ति शैक्षिक वर्ष 2016 के लिए होगी।

1.1 इस समझौता ज्ञापन का समापन अथवा इसे जारी रखा जाना इस समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 9 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप परस्पर सहमति से होगा।

1.2 यह नियुक्ति इस समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 5 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुरूप होगी।

2. आईसीसीआर के दायित्व

आईसीसीआर अनुच्छेद 3 में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर अभ्यागत आचार्य के वेतन तथा समुचित भत्तों से संबंधित व्यय पूरा करेगा और साथ ही कार्यभार ग्रहण करने और

विश्वविद्यालय में अपना कार्यकाल पूरा करने के समय अभ्यागत आचार्य के अंतर्राष्ट्रीय हवाई किरायों की भी प्रतिपूर्ति करेगा। आईसीसीआर वीजा आवेदनों पर भी कार्रवाई करेगा और यदि आवश्यक हो तो अभ्यागत आचार्य के लिए वीजा शुल्क का भी भुगतान करेगा।

3. विश्वविद्यालय के दायित्व

3.1 विश्वविद्यालय अभ्यागत आचार्य को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर का भुगतान करेगा (जो न्यूजीलैंड स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से भुगतान किया जाएगा)।

3.2 विश्वविद्यालय अभ्यागत आचार्य को पीठ से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों से जुड़े कार्यकलापों जिनमें यात्रा भी शामिल है, के लिए वित्तपोषण भी उपलब्ध कराएगा। इस वित्तपोषण की मात्रा और इस प्रकार के वित्तपोषण के तहत शामिल किए जाने वाले कार्यकलापों पर विश्वविद्यालय में अन्य अभ्यागत आचार्यों को दिए जा रहे सदृश वित्तपोषण के साथ समानता बनाए रखते हुए अभ्यागत आचार्य तथा विश्वविद्यालय द्वारा मिलकर निर्णय लिया जाएगा।

3.3 विश्वविद्यालय परिसर में अथवा परिसर के नजदीक एक पूर्णतः सुसज्जित अपार्टमेंट (कम से कम एक बेडरूम सहित) उपलब्ध कराएगा।

3.4 विश्वविद्यालय अभ्यागत आचार्य को संकाय सदस्यों और/अथवा अन्य अभ्यागत आचार्यों के समतुल्य दिए जाने वाले संपूर्ण स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगा।

3.5 विश्वविद्यालय इस पीठ के कारगर संचालन के अनुरूप समुचित कार्यालय स्थान तथा अन्य सहायता जैसे इंटरनेट सहित पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन तथा फैक्स आदि भी उपलब्ध कराएगा।

3.6 विश्वविद्यालय अपनी ओर से आधिकारिक कार्यों के दौरान अभ्यागत आचार्य को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा।

3.7 विश्वविद्यालय अभ्यागत आचार्य द्वारा दिया जाने वाला कम से कम एक सार्वजनिक व्याख्यान की व्यवस्था भी करेगा, जो भारत के बारे में आईसीसीआर लेक्चर के नाम से जाना जाएगा।

4. अभ्यागत आचार्य के दायित्व

4.1 अभ्यागत आचार्य विश्वविद्यालय के परामर्श से पाठ्यचर्या पर चर्चा करके इसे अंतिम रूप देगा।

4.2 अभ्यागत आचार्य विश्वविद्यालय के पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षानुसार अध्यापन कार्य करेगा और वह विश्वविद्यालय तथा अभ्यागत आचार्य के बीच परस्पर सम्मत अन्य कार्यकलापों जैसे विभागीय सेमिनारों, सम्मेलनों, संकाय बैठकों आदि में भाग लेगा।

4.3 अभ्यागत आचार्य अनुच्छेद 3.7 में यथानिर्दिष्ट विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वर्ष में कम से कम एक सार्वजनिक व्याख्यान देगा।

4.4 अभ्यागत आचार्य विश्वविद्यालय की आचार संहिता, मानव संसाधन नीतियों तथा अन्य नीतियों का पालन करेगा। यदि आई सी सी आर, जो प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी है, के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संबंधी निबंधन व शर्तों पर कोई विवाद होता है तो अनुच्छेद 9.5 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार इस समझौता ज्ञापन के पक्षकारों के बीच परस्पर परामर्श करके इस मामले का निपटारा किया जाएगा।

5. चयन प्रक्रियाः

पीठ का चयन निम्नानुसार किया जाएगाः

5.1 विश्वविद्यालय शैक्षिक वर्ष के आरंभ होने से कम से कम एक वर्ष पूर्व आई सी सी आर को अध्ययन के उन शैक्षिक क्षेत्रों के बारे में सूचित करेगा जो पीठ में पढाया जाना है।

5.2 विश्वविद्यालय आई सी सी आर को विचार हेतु संभावित उम्मीदवारों का सुझाव भी दे सकता है।

5.3 अभ्यागत आचार्य के लिए न्यूनतम योग्यता यह होगी कि उनके पास डॉक्टोरल अथवा समतुल्य योग्यता तथा विशेषज्ञता के अपेक्षित क्षेत्र में अनुसंधान अनुभव तथा/अथवा उच्चतर शिक्षा के किसी संस्थान में कम से कम 8-10 वर्षों का शैक्षिक अनुभव होना चाहिए। उनके पास सहकर्मी के समीक्षा प्रकाशनों का प्रतिष्ठित रिकॉर्ड भी होना चाहिए।

5.4 आई सी सी आर अनुच्छेद 5.1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय से अनुरोध प्राप्त होने के तीन महीनों के भीतर विश्वविद्यालय को कम से कम तीन योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल प्रदान करेगा।

5.5 विश्वविद्यालय आई सी सी आर द्वारा प्रदान किए गए पैनल में से एक उम्मीदवार का चयन करेगा और पैनल प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर आई सी सी आर को अपने निर्णय की सूचना देगा।

5.6 आई सी सी आर चयनित उम्मीदवार को ''नियुक्ति प्रस्ताव '' पत्र जारी करेगा और विश्वविद्यालय के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के दो महीने के भीतर विश्वविद्यालय को उम्मीदवार की स्वीकृति के बारे में सुनिश्चित करेगा। आई सी सी आर अभ्यागत आचार्य के प्रस्थान से पूर्व उन्हें अंतिम नियुक्ति आदेश भी जारी करेगा।

5.7 इसके पश्चात, चयनित उम्मीदवार और विश्वविद्यालय के बीच विचार-विमर्श के बाद समुचित पाठ्यक्रम तथा कार्यसूची निर्धारित की जाएगी।

5.8 विश्वविद्यालय अभ्यागत आचार्य का कार्यकाल आरंभ होने की वास्तविक तारीख के बारे में आई सी सी आर को कम से कम चार महीने पूर्व सूचित करेगा।

6. वीजा प्रबंध :

6.1 आई सी सी आर अभ्यागत आचार्य को सरकारी पासपोर्ट जारी करेगा और देश के उत्प्रवासन नियम के अनुसार इस सरकारी पासपोर्ट पर उचित वीजा प्राप्त किया जाएगा।

6.2 विश्वविद्यालय अभ्यागत आचार्य को एक आमंत्रण पत्र प्रदान करेगा, जिसका उपयोग न्यूजीलैंड के उत्प्रवासन से उचित वीजा प्राप्त करने में किया जाएगा।

6.3 विश्वविद्यालय अभ्यागत आचार्य को उचित वीजा जारी करने के लिए न्यूजीलैंड के उत्प्रवासन प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

6.4 उसके पश्चात आई सी सी आर उपयुक्त वीजा तथा अनुच्छेद 6.3 के तहत शामिल संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए भारत स्थित न्यूजीलैंड के उच्चायोग से संपर्क करेगा।

6.5 अभ्यागत आचार्य को उपयुक्त वीजा प्राप्त करने के लिए नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

6.6 वीजा तथा अन्य संबंधित दस्तावेज न्यूजीलैंड में प्रवेश करने से पूर्व प्राप्त कर लिए जाने चाहिए।

6.7 अभ्यागत आचार्य को वीजा की सभी शर्तों का पालन करना होगा तथा वे विश्वविद्यालय को अपने वीजा का वास्तविक सबूत प्रदान करने और न्यूजीलैंड में उनके प्रवास के दौरान किसी भी समय उनकी वीजा स्थिति में किसी परिवर्तन के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

7. प्रयोजन की मान्यता

7.1 पीठ हेतु आईसीसीआर के अंशदान और पीठ के लिए विश्वविद्यालय की स्वीकारोक्ति को प्रत्येक पक्ष के सभी संगत प्रकाशनों में यथोचित रूप से स्वीकार किया जाएगा।

7.2 यदि किसी पक्षकार द्वारा लोग का उपयोग किया जाता है तो इसके लिए आपसी सहमति आवश्यक होगी।

8. इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत नियुक्त प्रोफेसरों की नियुक्ति का निरस्तीकरण/जारी रखना:

यदि विश्वविद्यालय अस्वीकार्य व्यवहार/कदाचार के कारण अभ्यागत आचार्य की नियुक्ति को किसी भी समय निरस्त करने की अभिलाषा करता है तो उसे मामले के तथ्यों से वेलिंगटन

में भारत के उच्चायोग को सूचित करना होगा और मध्यस्थता करने हेतु उच्चायुक्त को पांच कार्य दिवस प्रदान करने होंगे। यदि उच्चायुक्त की मध्यस्थता से स्वीकार्य हल प्राप्त नहीं होता है तो विश्वविद्यालय तत्काल अभ्यागत आचार्य की नियुक्ति को निरस्त कर देगा। निरस्त किए जाने की स्थिति में इस समझौता ज्ञापन की वैधता समग्र अवधि के भीतर अगले शैक्षिक सत्र के लिए एक नए अभ्यागत आचार्य के चयन हेतु विश्वविद्यालय और आई सी सी आर इस समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद-5 में दी गई चयन प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

9. रखनाः जारी /निरस्तीकरण का ज्ञापन समझौता इस

9.1 इस समझौता ज्ञापन को जारी रखने और निरस्तीकरण का अनुरोध किसी भी पक्षकार द्वारा किया जा सकता है और इसे तिथि समाप्त होने के कम से कम 12 माह पूर्व एक लिखित सूचना द्वारा किया जाना चाहिए।

9.2 उपर्युक्त खंड के अंतर्गत इस समझौता ज्ञापन को निरस्त किए जाने का प्रभाव निरस्तीकरण की तिथि पर पीठ में कार्यरत अभ्यागत आचार्य पर नहीं पड़ेगा। ऐसे निरस्तीकरण से अभ्यागत आचार्य प्रभावित न हो इसकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करना और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धन प्रदान करना निरस्तीकरण का अनुरोध करने वाले पक्षकार की होगी।

9.3 इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को दिया गया कोई भी नोटिस लिखित में (पंजीकृत मेल द्वारा (पावती सहित) या अनुलिपि में होना चाहिए और पक्षकारों के निम्नलिखित पतों पर भेजा जाना चाहिए या उन पतों पर भेजा जाना चाहिए जो कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को समय-समय पर अधिसूचित कराते हैं।

आईसीसीआर को भेजे जाने वाले नोटिसों के पते इस प्रकार हैः

महानिदेशक, आई सी सी आर
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
आजाद भवन -दिल्ली नई ,स्टेट आईपी ,110022
अनुकृतिः +91-11-2337 8647
विश्वविद्यालयों को भेजे जाने वाले नोटिसों के लिए पते इस प्रकार हैं-

डीन और कुलपति
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान निकाय
वेलिंग्टन विक्टोरिया विश्वविद्यालय
पीओ बाक्स 600, वेलिंग्टन 6140, न्यूजीलैंड

9.4 अनुच्छेद 9.3 के अंतर्गत किसी भी पक्षकार को भेजे गए नोटिस को विधिवत पावती सहित दिया गया तथा प्राप्त किया गया माना जाएगा यदि पंजीकृत डाक से भेजा गया हो अथवा यदि वह किसी पक्षकार के पते पर अनुलिपि द्वारा भेजा गया हो, जब एक सटीक तथा संपूर्ण पारेषण रिपोर्ट किसी कार्य दिवस पर प्राप्त हुआ हो, अन्यथा यह अगले कार्य दिवस को प्राप्त हुआ हो।

9.5 इस समझौता ज्ञापन से संबंधित किसी विवाद का सद्भावना द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान किया जाएगा और इसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

10. प्रावधान अन्य

इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में दोनों पक्ष अपने-अपने देश में लागू सभी राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

इस समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई आशय नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि भागीदारी, संयुक्त उद्यम अथवा रोजगार मूलक संबंध स्थापित किया जाएगा अथवा किसी भी पक्ष पर किसी प्रकार की भागीदारी, संयुक्त उपक्रम अथवा रोजगार संबंधों से उत्पन्न किसी प्रकार का अधिकार, बाध्यता अथवा कर्त्तव्य थोपा जाएगा। किसी भी पक्षकार के पास दूसरे पक्षकार की ओर से बाध्य करने, उनकी ओर से वक्तव्य देने अथवा संविदा निष्फल करने का कोई अधिकार अथवा प्राधिकार नहीं होगा।

उपर्युक्त निबंधनों एवं शर्तों से सहमत होते हुए, आई सी सी आर और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर करते हैं; व्याख्यान में विभेद होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
की ओर से

संजीव कोहली

महामहिम संजीव कोहली
न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त

वेलिंगटन के विक्टोरिया विश्वविद्यालय
की ओर से

Jennifer Windsor

प्रोफेसर जैनिफर विडंसर
कुलपति और डीन
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

वेलिंगटन का विक्टोरिया विश्वविद्यालय वेलिंगटन, न्यूजीलैंड

स्थानः ऑकलैंड
दिनांकः 02 मई, 2016